न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 08/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00008)

1. मनोहरी देवी पत्नी देबूराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील चूरू।
2. रूकमणी पुत्री देबूराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील चूरू।
3. मीरा पुत्री देबूराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील चूरू।
4. कुनणी पुत्री देबूराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील चूरू।
5. पुष्पा पुत्री देबूराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील चूरू।
6. पूर्णमल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील चूरू।
7. डेडराज पुत्र देबूराम जाति जाट निवासी मोलीसर बड़ा तहसील चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) चूरू।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री सत्यपाल सहू – अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 10–01–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 28.10.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार चूरू ने रास्ता सम्बन्धी समस्याओ का निराकरण अभियान 2016 में राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करने की अनुशंषा उपखण्ड अधिकारी चूरू से की। उक्त अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी चूरू ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2016 द्वारा तहसीलदार चूरू का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया कि उक्त मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एव राजस्व नक्शे में सलग्न नक्शे एव परिशिष्ट–ए में वर्णितानुसार कर पालना रिपोर्ट पेश करे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलाट्स के नाम से कृषि भूमि वाके रोही मोलीसर बड़ा तहसील चूरू की खं. नं. 342/78 तादादी 10 बीधा 8 बिस्वा स्थित है जो पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त मे चली आ रही है जिसके पश्चिम दिशा में ग्राम मोलीसर बड़ा से सातड़ा जाने वाली पक्की सड़क चल रही है तथा दक्षिण में ग्राम मोलीसर बड़ा से जुहारपुरा व सहनाली बड़ी का कटानी रास्ता मौके पर चालू है। उक्त खं. नं. 342/78 तादादी 10 बीधा 8 बिस्वा भूमि के मध्य में एक नया रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई, बिना नोटिस , एक तरफा बाला–बाला स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नया रास्ता स्वीकृत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा सहमति पत्र एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का को आधार बनाया गया है जबकि ना तो प्रभावित खातेदारान को नोटिस दिया, ना ही अपीलान्ट की सहमति ली गई , ना ही किसी संक्षम अधिकारी के समक्ष सहमति तस्दीक की गई है। नया रास्ता स्वीकृत करने के अधिकार न्यायालय को धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम में दिये गये है। अपीलाधीन रास्ते में दर्ज खं. नं. 270/79 जुहारपुरा के कटानी रास्ते पर स्थित है तथा 81, 82 में जाने हेतु पूर्व से ही खं. नं. 270/79 से इन्टरलोकिग सड़क का रास्ता चालू है। खं नं. 81, 82, 83, 84, 85, 86 एक ही परिवार के खेत है जिनमें सातड़ा से कटानी रास्ता खं. नं. 83, 84 एवं 86 से होकर चालू है। इसलिए उक्त अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी चूरू के आदेश दिनांक 28.10.2016 के विरूद्व है जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी चूरू ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 एवं राजस्थान भू. अभिलेख 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में अंकन करने के आदेश पारित किये है, उक्त आदेश तहसीलदार चूरू के प्रस्ताव दिनांक 28.10.2016 के अनुसरण में जारी किये गये है जिसमे अपीलान्ट के खसरा नं. 342/78 की 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि मे से 3 बिस्वा भूमि को रास्ते में दर्ज करने के प्रस्ताव दिये गये है इसके अतिरिक्त खसरा नं. 270/79, 81, 82, 181, 182 में भी ऐसे ही प्रस्ताव दिये जाकर उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से गैर मुमकिन रास्ता अंकन करने के आदेश दिये गये है। खसरा नं. 342/78 का राजस्व नक्शे में खसरा नं. 342/68 अंकन है तथा पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट में भी खसरा नं. 342/68 अंकित है, जबकि जमाबन्दी व तहसीलदार चूरू के प्रस्ताव एवं उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा पारित आदेश में खसरा नं. 342/78 अंकित है। इस प्रकार राजस्व मानचित्र एवं पटवारी हल्का/भू–अभिलेख निरीक्षक एवं जमाबन्दी तहसीलदार चूरू के प्रस्ताव व उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश में खसरा नम्बर में भिन्नता है। इसके अतिरिक्त उक्त ख. नं. 342/78 (342/68) के खातेदारान/अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया हो, यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रमाणित नही होता है अर्थात खातेदारान को नोटिस अथवा उनकी सहमति संबधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नही है, इसी के चलते अपीलान्ट की दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है, एवं उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से अपीलान्ट के ख. नं. 342/78 (342/68) की हद तक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी चूरू के आदेश दिनांक 28.10.2016 को

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट के खसरा नं. 342/78 (342/68) की हद तक खारिज किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चूरू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर राजस्व विभाग के परिपत्र 2016 की पालना करते हुए तथा खसरा नम्बर की जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।